

प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक- **03-07** -2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04/अ-82/2015-16, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार							धारा 12	सार्वजनिक		
जिला	तहसील	ग्राम /प.ह.न.	खसरा नंबर			क्षेत्रफल (हे० में.)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण	
1	2	3	4			5		6	7	
रायगढ़	पुसौर	बोड़ाझरिया प.ह.न 31	ख. न.	रकबा (हे० में)	ख. न.	रकबा (हे० में)	ख. न.	रकबा (हे० में)	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन
			114/4घ/1	0.100	260/2	0.160	410/2	0.121		
			171/2	0.178	260/3	0.154	444/1	0.113		
			172/2		260/4	0.085	526/1क/1	0.124		
			173/2		260/4 ख	0.085	526/1ख	0.061		
			245	0.260	261	0.210	526/1ग	0.061		
			247	0.231	262/1	0.061	527/1घ	0.405		
			248	0.238	262/2	0.028	529/1घ			
			257	0.822	262/3	0.028	819/1क	0.019		
			259	0.554	324	0.069	कुल खसरा 26 कुल रकबा 4.167 हे०			

- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला रायगढ़ को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (स.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(शम्मी आंबेदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग